"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2007—पौष 15, शक 1928

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-92/2006/11 (6).—राज्य सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27), जिसे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को ऐसे प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके पास ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) में सूक्ष्म या लघु उद्यम की स्थापना करने का आशय रखता है या जिसने पहले ही स्थापना कर ली है, स्वविवेकानुसार ज्ञापन फाईल किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 20-92/2006/11 (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 20-92/2006/11 (6) दिनांक 02-01-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

Raipur, the 2nd January 2007

NOTIFICATION

No. F 20-92/2006/11 (6).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) herein referred to as the said Act, the State Government hereby specifies the Concerned General Manager, District Industries Centre as the Authority with which the memorandum shall be filed, at his discretion, by a person who intends to establish or has already established a micro or small enterprise as specified in clause (a) of Sub-section (1) of Section 8 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANKARRAO BRAHMANE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.